राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 7(53)(ATS)परि/नियम/मु./2025/ 9135 दिनांक: 02.07.2025

कार्यालय आदेश- 05/2025

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) की स्थापना एवं नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों - 2025

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नया अध्याय 11 (स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण) जोड़कर नियम 173 से 190 तक अंत:स्थापित किये गये हैं। उक्त प्रावधानों को राज्य में लागू किये जाने हेतु विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 06.09.2022 को जारी कार्यालय आदेश 14/2022 एवं दिनांक 13.07.2023 को जारी कार्यालय आदेश 18/2023 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) की स्थापना एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश- 2025 तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं, जिसके प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

1. **परिभाषायें** :-

(i) "स्वचालित परीक्षण स्टेशन" से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 173 से 190 के प्रावधानों के तहत स्थापित तथा परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा अधिकृत वाहन फिटनेस जांच केन्द्र से है।

(ii) "प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 175 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन किए जाने पर आवेदक को फार्म 61 में जारी प्रमाण पत्र से है।

(iii) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 175 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन किए जाने पर आवेदक को फार्म 64 में जारी प्रमाण पत्र से है।

(iv) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 174 के अन्तर्गत स्वचालित परीक्षण केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी से है। राजस्थान राज्य में परिवहन आयुक्त इस हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होंगे।

(v) "अपीलीय प्राधिकारी" से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 175 (9) या नियम 185 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध नियम 186 के अन्तर्गत अपील हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी से है। राजस्थान राज्य में इस हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

(vi) "टेस्ट परिणाम के विरूद्ध अपील हेतु अपीलीय प्राधिकारी" से तात्पर्य संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से है। केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 183 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत स्वामी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फिटनेस जांच परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो परिणाम प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप 68 में राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

2. <u>स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदक की पात्रताएं:-</u>

2.1 केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 176 के अनुसार किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का स्वामी (Owner) या प्रचालक (Operator) राज्य सरकार/ कम्पनी/ एसोसियेशन/ व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय/ विशेष प्रयोजन यान (प्रत्यक्ष रूप से या पब्लिक प्राईवेट भागीदारी के माध्यम से) होंगे।

2.2 कोई यान विनिर्माता/ सेवा केन्द्र / मोटर वाहन डीलर / यान के सुधार या विनिर्माण या यान के विक्रय या मोटर गाडी के पुर्जो से संबंधित कोई व्यक्ति किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का प्रत्यक्ष रूप से स्वामी या प्रचालक नहीं बनेगा, परंतु वह कोई समनुषंगी (Subsidiary) या संयुक्त उद्यम (Joint Venture) या कोई विशेष प्रयोजन यान (Special Purpose Vehicle) बनाकर ऐसा कर सकेगा।

2.3 स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति या फर्म/ संस्था के प्रबन्धक निदेशक (MD)/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) एवं समस्त पार्टनर्स इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि उन्हें विगत तीन वर्षो में किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित/ ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

3. <u>स्वचालित परीक्षण स्टेशन की टेस्ट लेन</u> :-

आवेदक द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन का आवेदन निम्न में से न्यूनतम दो लेन हेतु किया जा सकता है:-

(i) दुपहिया वाहन

(ii) तिपहिया/ हल्के मोटर यान

(iii) मध्यम/भारी माल/यात्री वाहन

4. <u>स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु वांछित भूमि</u> :-

4.1 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम-178 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आवेदन में उल्लेखित लेन की संख्या (न्यूनतम 3 लेन) के अनुसार भूमि की उपलब्धता आवश्यक होगी। उपलब्ध भूमि की लोकेशन के अक्षांश एवं देशान्तर दर्शाते हुए उपलब्ध भूमि का लेआउट प्लान (उपलब्ध भूमि की लम्बाई एवं चौडाई तथा एप्रोच रोड़ की चौड़ाई) दर्शाते हुए आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

4.2 नगरीय क्षेत्र में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना हेतु नगरीय मास्टर प्लान के अनुसार व्यावसायिक/ औद्योगिक श्रेणी की भूमि आवश्यक होगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना हेतु आवेदक इकाई को आवेदन से पूर्व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(MSME) के अंतर्गत पंजीकृत करवा कर जारी प्रमाण पत्र को प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत आवेदन पर राजस्थान सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

4.3 भूमि आवेदक के स्वयं के नाम पर हो अथवा आवेदक द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए लीज/किराये पर ली गई हो। इस हेतु आवेदक द्वारा पंजीकृत किरायानामा/लीज डीड एवं भूमि के दस्तावेज की स्व: प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

4.4 उक्त भूमि न्यूनतम 18 मीटर चौड़ाई की अप्रोच रोड पर स्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक को road owning agency से प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

4.5 स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परिसर में वाहनों के प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक-पृथक द्वार होंगे, ताकि वाहनों का आवागमन बाधित ना हो।

5. <u>स्वचलित परीक्षण स्टेशन को अनुमत करने की प्रक्रिया</u> :-

5.1 आवेदक द्वारा स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु ऑनलाइन पोर्टल **National Single Window System (NSWS)** के माध्यम से प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा। प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (PRC) जारी होने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि पर स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना कर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड केलीब्रेशन लेबोरेट्रीज (NABL)- एक्रेडिटेड एजेन्सी या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेन्सी से प्री कमिशन ऑडिट करवायी जाएगी। इसके उपरांत रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदक द्वारा पुन: आवेदन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट तथा प्री कमिशनिंग ऑडिट रिपोर्ट सहित ऑनलाइन पोर्टल **National Single Window System (NSWS)** के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा। इसके उपरांत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा आवेदन का नियमानुसार परीक्षण कर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

5.2 इस नीति के जारी होने की तिथि से सभी पात्र इच्छुक आवेदक NSWS पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर आवेदन करने के तीन कार्य दिवस के भीतर आवेदक को आयुक्त परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग के नाम का 5.00 लाख रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) के रूप में परिवहन मुख्यालय में जमा करवाना होगा, जिसे प्रारम्भिक पंजीकरण प्रमाण पत्र का आवेदन नियमानुसार निरस्त होने की स्थिति में वापस लौटा दिया जायेगा। इस राशि पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5.3 इस नीति के जारी होने के प्रथम एक माह (30 दिवस) में किसी जिले में अधिकतम अनुमत संख्या से कम या अनुमत संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर, परीक्षणोपरान्त पात्र पाए जाने पर, अगंभीर प्रकृति के आवेदनों को रोकने के उद्देश्य से पात्र आवेदक द्वारा 20.00 लाख रूपये की अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। कुल 25 लाख रूपये की प्रतिभुति राशि जमा करवाने पर प्रथम आगत प्रथम पावत की नीति के अनुसार प्रारम्भिक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे। 20 लाख रूपये की प्रतिभूति राशि प्रारम्भिक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 6 माह के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर लौटा दी जावेगी। इस राशि पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि 6 माह के भीतर आवेदक द्वारा नियमानुसार वांछित शर्तों की पूर्ति नहीं की जाती है, एवं इस कारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो सिक्योरिटी राशि में से 5 लाख रूपये की राशि राजसात कर ली जावेगी एवं प्रारम्भिक पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जावेगा।

प्रथम आगत प्रथम पावत (First Come First Serve) का निर्धारण NSWS पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने की तिथि एवं समय के आधार पर किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

5.4 यदि इस नीति के लागू होने पर NSWS पोर्टल पर प्रथम एक माह (30 दिन) में ही किसी जिले के अधिकतम अनुमत संख्या से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं एवं परीक्षणोपरान्त जिले के लिए अनुमत संख्या से अधिक संख्या में पात्र पाए जाते हैं, तो समस्त पात्र पाए गये आवेदकों में से कम्प्यूटरजनित लॉटरी के माध्यम से जिले के लिए अनुमत अधिकतम संख्या तक की संख्या में आवेदकों का चयन किया जाएगा। लॉटरी के लिए सॉफ्टवेयर NIC द्वारा तैयार किया जावेगा।

5.5 इस नीति के लागू होने की तिथि से पूर्व लम्बित आवेदक इस नीति के अनुसार पुनः आवेदन के लिए स्वतंत्र रहेंगे। यदि पुनः आवेदन नहीं किया जाता है तो पूर्व में प्राप्त आवेदन का इस नीति के अनुरूप परीक्षण कर नवीन आवेदनों के साथ इस नीति की प्रक्रियानुरूप निर्णय किया जाएगा।

5.6 यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो आवेदक को पूर्ति करने हेतु अधिकतम 15 दिवस का समय प्रदान करते हुये एक अवसर दिया जाएगा तथा उसके पश्चात भी यदि आवेदक नियमानुसार वांछित दस्तावेजों की पूर्ति करने में विफल रहता है, तो आवेदन को निरस्त करने से पूर्व पंजीयन अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय लिया जायेगा।

5.7 इस नीति के जारी होने के प्रत्येक माह (30 दिवस) के अन्त में अधिकतम स्वीकृत संख्या से कम आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उपलब्ध लोकेशन अथवा किसी लोकेशन की प्रारम्भिक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निरस्त होने की स्थिति में अथवा इस नीति के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार किसी जिले के लिए स्वीकृत अधिकतम संख्या में वृद्धि उपरान्त उपलब्ध लोकेशन की स्थिति में वृद्धि स्वीकृत किए जाने की तिथि से एक माह (30 दिवस) में प्राप्त आवेदनों का निपटान भी उपरोक्त प्रक्रिया से किया जाएगा।"

6. <u>प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (PRC)जारी करने की प्रक्रिया</u> :-

6.1 प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदक द्वारा नेशनल सिंगल विण्डोसिस्टम (NSWS)पोर्टल पर फार्म 63 में संलग्न परिशिष्ट- 'अ' में उल्लेखित दस्तावेजों सहित आवेदन किया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो आवेदक को पूर्ति करने हेतु अधिकतम 15 दिवस का समय प्रदान किया जाएगा तथा उसके पश्चात भी यदि आवेदक नियमानुसार वांछित दस्तावेजों की पूर्ति करने में विफल रहता है तो आवेदन को निरस्त करने से पूर्व पंजीयन अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

6.2 प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त होने की स्थिति में आवेदक द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष निरस्तीकरण आदेश जारी करने की दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी।

6.3 प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह होगी। उक्त अवधि के पश्चात PRC स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. <u>रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (RC) जारी करने की प्रक्रिया</u> :-

7.1 आवेदक द्वारा NSWS पोर्टल पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के फार्म 64 में आवेदन किया जाएगा, जिसके साथ आवेदन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्री कमीशनिंग ऑडिट रिपोर्ट व संलग्न परिशिष्ट- 'ब' के अनुसार दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे।

7.2 आवेदक द्वारा आवेदन के साथ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड केलीब्रेशन लेबोरेट्रीज(NABL)- एक्रेडिटेड एजेन्सी या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेन्सी से प्री कमिशन ऑडिट करवाकर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

7.3 विभागीय अधिकारी/जांच दल से निर्धारित प्रारूप में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा आवेदन का नियमानुसार परीक्षण कर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

7.4 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 10 वर्ष होगी, तत्पश्चात आवेदन करने पर प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 5 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।

8. <u>राज्य में स्थापित होने वाले ATS की अधिकतम संख्या</u> :-

8.1 किसी एक आवेदक को प्रदेश में अधिकतम 03 स्वचालित परीक्षण स्टेशन ही आंवटित किये जायेंगे। किसी भी आवेदक को एक जिले में एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन ही आवंटित किया जायेगा।

8.2 किसी भी राजस्व जिले में 12 हजार से 15 हजार पंजीकृत परिवहन वाहनों की संख्या तक अधिकतम 1 स्वचालित परीक्षण स्टेशन अनुमत किया जा सकेगा। जिलो में परिवहन यानों की संख्या के संबंध में प्रतिवर्ष 31 मार्च तक पंजीकृत वाहनों की संख्या के आधार पर स्वचालित परीक्षण स्टेशन की संख्या के लिये पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे। स्वचालित परीक्षण स्टेशन की अधिकतम सीमा का प्रावधान राजकीय स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के लिये लागू नहीं होगा।

8.3 यदि पूर्व में कोई प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी हो तो स्वचालित परीक्षण स्टेशन की अधिकतम सीमा के उक्त प्रावधान उन आवेदनों पर लागू नहीं होंगे।

8.4 जिले में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की अधिकतम संख्या में बढोतरी के संबंध में निर्णय का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

9. <u>फीस</u>:- स्वचलित परीक्षण स्टेशन हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 188 में निर्धारित फीस देय होगी।

10. <u>स्वचलित परीक्षण स्टेशन की कार्य प्रणाली के संबंध में दिशा निर्देश</u> :-

10.1 केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 179 की अपेक्षानुसार स्वचलित परीक्षण स्टेशन के संचालन हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। स्वचलित परीक्षण स्टेशन श्रम विधियों (Labour Laws), PF/ESI सहित तत्समय प्रवृत्त सभी विधियों की पालना सुनिश्चित करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

10.2 स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परिसर में आमजन हेतु निम्नलिखित सूचनाएं सदृश्य स्थान पर 3X4 feet के बैनर/बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी आवश्यक होगी।

(i) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के स्वामी/ऑपरेटर/प्रबंधक का नाम, फोन नम्बर एवं ई मेल आईडी।

(ii) परीक्षण रिपोर्ट के विरूद्ध की जाने वाली अपील हेतु अपीलीय प्राधिकारी का नाम, फोन नम्बर एवं ई मेल आईडी।

(iii) फिटनेस हेतु देय फीस चार्ट।

(iv) स्वचालित परीक्षण स्टेशन की शिकायत हेतु संबधित जिला परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं परिवहन आयुक्त की ई-मेल आईडी की सूचना।

10.3 स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर ANPR /एनवीआर सैटअप के साथ लाइव कवरेज की व्यवस्था होगी तथा 3 माह की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जायेगी। स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर वाहनों की जांच प्रक्रिया लाइव देखने हेतु परीक्षण स्टेशन के स्वामी/ऑपरेटर द्वारा परिवहन मुख्यालय एवं संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय को लिंक उपलब्ध कराया जायेगा।

10.4 स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर स्थापित मशीन/उपकरण तथा ANPR/एनवीआर सैट-अप कार्यरत नहीं होने के स्थिति में स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा वाहनों की फिटनेस जांच/जारी करने का कार्य नहीं किया जायेगा।

10.5 केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट फिटनेस परीक्षण शुल्क स्वचालित परीक्षण स्टेशन को तथा फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा। परीक्षण स्टेशन को प्राप्त होने वाले परीक्षण शुल्क पर देय जी०एस०टी० वाहन स्वामी से परीक्षण स्टेशन द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा जी०एस०टी० के प्रचलित प्रक्रिया व नियम के अनुसार निर्धारित समयावधि में संबंधित विभाग को जमा करने का दायित्व परीक्षण स्टेशन संचालक का होगा। भविष्य में होने वाली शुल्क में कमी/वृद्धि की दशा में तत्समय विद्यमान फिटनेस परीक्षण शुल्क स्वचालित परीक्षण स्टेशन को तथा फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा।

10.6 केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 189 में मोटर वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी एवं नवीनीकरण हेतु की जाने वाली जांच, परीक्षण एवं संदर्भ मानकों का विस्तृत विवरण दिया गया है। स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तथा उनके तकनीकी विनिर्देश नियम 190 में वर्णित हैं, जिनकी पालना किया जाना आवश्यक होगा।

10.7 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 176 के प्रावधानों में उल्लेखित निषिद्ध कार्यों से संबंधित कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

10.8 केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 183 के अनुसार यदि पंजीकृत स्वामी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फिटनेस जांच परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो परिणाम प्राप्ति की दिनांक से 7 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप 68 में नियम 188 में निर्धारित शुल्क एवं जांच परिणाम की प्रति के साथ अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस हेतु अपीलीय प्राधिकारी संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा। संबंधित अपील प्राधिकारी ऐसी अपील प्राप्त होने के पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर वाहन के आंशिक या पूर्ण, पुन: निरीक्षण का आदेश दे सकता है। वाहन के ऐसा पुन: परीक्षण उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी ऐसे वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश प्रदान कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

10.9 वाहन के स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर भौतिक जांच के बिना फिटनेस जारी किये जाने अथवा गलत तरीके से जारी किये जाने पर वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र नियमानुसार निर्धारित प्रकिया की पालना करते हुये अप्रभावी एवं शून्य (null & void) किया जायेगा।

10.10 स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा वाहन की फिटनेस जांच किये जाते समय समस्त मशीनों से जांच का डेटा फिटनेस केन्द्र पर स्थापित लोकल सर्वर पर रियल टाइम पर स्टोर होगा एवं लोकल सर्वर से वाहन पोर्टल पर डेटा यथासंभव रियल टाइम पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा परन्तु किसी भी हालत में डेटा अपलोड में 4 घंटे से अधिक का विलम्ब् नहीं होगा। सर्वर का **IP address Vaahan Portal** पर **white list** किया जाना आवश्यक होगा।

यदि किसी कारण से वाहन पोर्टल से इस डेटा अपलोड में विलम्ब होता है तो स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर विलंब का कारण संधारित किया जाना होगा एवं विभागीय जांच अधिकारी को स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की जांच के समय उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। स्वचालित परीक्षण केन्द्र से **Data encrypted mode** में वाहन पोर्टल पर अपलोड होगा एवं तत्पश्चात वाहन पोर्टल द्वारा वाहन की जांच का रिजल्ट दिया जायेगा। स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) पर स्थापित मशीनों एवं लोकल सर्वर में manually data feed किया जाना अनुमत नहीं होगा।

स्वचालित परीक्षण केन्द्र की आडिट केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अनुसार की जायेगी। स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मशीन के सॉफटवेयर में वाहन का नंबर केवल **ANPR** कैमरे के द्वारा रीड किया जायेगा।

वाहन की नंबर प्लेट, **ANPR** कैमरे द्वारा वाहन नंबर **readable** नहीं होने की स्थिति में वाहन की फिटनेस जांच नहीं की जायेगी। इस हेतु केन्द्र के सर्वर में वाहन का पंजीयन क्रमांक **manually feed** नहीं किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा अनियमितता किए जाने पर की जाने वाली कार्यवाही:-

स्वचालित परीक्षण केन्द्र द्वारा मोटर यान नियमों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों की पालना किये जाने में विफल रहने अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता किए जाने पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 185 में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या निरस्त करने और अर्नेस्ट मनी राशि जब्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनियमितता पाये जाने पर उक्त नियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

12. अपील :-

स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी/संचालक द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम,1989 के नियम 186 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या निरस्त करने और अर्नेस्ट मनी राशि जब्त करने के आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष नियम 187 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एवं यथा विनिर्दिष्ट शुल्क सहित अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

13. ऑडिट :-

13.1 स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा PRC जारी होने के उपरांत मशीनों की स्थापना कर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड केलीब्रेशन लेबोरेट्रीज (NABL)- एक्रेडिटेड एजेन्सी या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्यएजेन्सी द्वारा प्री कमिशनिंग ऑडिट करवाकर प्रस्तुत की जायेगी।

13.2 स्वचालित परीक्षण स्टेशन के आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के आवेदन किये जाने के उपरांत रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विभागीय अधिकारी/जांच दल से निर्धारित प्रारूप में जांच करवायी जायेगी।

13.3 केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 184 के तहत स्थापित स्वचालित परीक्षण केन्द्रों के कार्य निष्पादन की संपरीक्षा एवं निर्धारण (audit and assessment) वित्तीय वर्ष के प्रत्येक 6 माह में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड केलीब्रेशन लेबोरेट्रीज (NABL)- एक्रेडिटेड एजेन्सी अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। इस तरह की ऑडिट की लागत स्वचालित परीक्षण केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा वहन की जाएगी। ऑपरेटर द्वारा उक्त ऑडिट और असेसमेंट की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के प्रत्येक 6 माह समाप्त होने के पश्चात अधिकतम एक माह के भीतर, वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 अक्टूबर एवं 30 अप्रैल तक निर्धारित रीति के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा स्वचालित परीक्षण केन्द्र की ऑडिट और असेसमेंट उपरोक्त एजेन्सियों से कराई जा सकेगी, जिसकी लागत भी ऑपरेटर द्वारा ही वहन की जाएगी ।

13.4 रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक 1 वर्ष में नियमित रूप में अथवा विशेष परिस्थितियों में किसी भी समय विभागीय अधिकारी/जांच दल से स्वचालित परीक्षण केन्द्र की आकस्मिक जांच करवायी जाएगी। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन नियमों की अवहेलना में संचालक की शिकायत प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा विशेष जांच करवायी जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

14. <u>पूर्व में पंजीकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन/ जारी प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र / प्राप्त आवेदनो के संबंध में कार्यवाही</u>:-

14.1 पूर्व में पंजीकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर उक्त दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पूर्ण पालना कर इस आशय का साक्ष्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्तानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

14.2 पूर्व में जारी प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रकरणों में आवेदक को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ उक्त दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पूर्ण पालना कर इसका साक्ष्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. <u>अन्य प्रावधान</u>:-

उक्त के अतिरिक्त स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अध्याय-11 के समस्त प्रावधान एवं समय-समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं दिशा-निर्देशों के प्रावधान भी लागू होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार परिशिष्ट।

(शुचि त्यागी)
शासन सचिव एवं आयुक्त,
परिवहन एवं सडक सुरक्षा

क्रमांक: एफ 7(53)(ATS)परि/नियम/मु./2025/9136-42 दिनांक : 02.07.2025

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी वेबसाईट, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-अ

ATS के प्रारम्भिक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में वांछित दस्तावेज

क्र.सं.	वांछित दस्तावेज
1.	NSWS पोर्टल के माध्यम से आवेदन
2.	आवेदन फीस रू 10,000
3.	सिक्योरिटी राशि 25 लाख रूपये (5 लाख रूपये पी.आर.सी. आवेदन के 3 दिन के भीतर + 20 लाख रूपये 1 माह के भीतर)
4.	फर्म का जीएसटी प्रमाण पत्र (समस्त पार्टनर्स के नाम एवं कार्यालय/सेंटर का पता सहित)
5.	फर्म का पेनकार्ड
6.	उद्यम आधार/सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन/शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन
7.	पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम (यदि अपेक्षित हो तो)
8.	भूमि के दस्तावेज (भूमि की माप सहित) i) रजिस्ट्री/पंजीकृत किरायानामा/लीजडीड एवं प्रस्तावित भूमि का प्रमाणित नक्शा ii) जमाबंदी iii) कन्वर्जन ऑर्डर (औद्योगिक/व्यवसायिक होने का प्रमाण) iv) कुल भूमि में से स्टेशन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा
9.	आवेदक की भूमि औद्योगिक/व्यावसायिक नहीं होने की स्थिति में एवं आवेदक द्वारा भूमि कन्वर्जन हेतु छूट प्राप्त किये जाने हेतु निम्न दस्तावेज अपेक्षित होगें- i) उद्यम आधार ii) उद्यम आधार Acknowledgment Certificate iii) भूमि का कन्वर्जन योग्य होने का प्रमाण
10.	भूमि का न्यूनतम 18 मीटर चौडाई की एप्रोच रोड पर स्थापित होने का **road owning agency** से जारी मूल प्रमाण पत्र
11.	फर्म के प्रोपराईटर/पार्टनर्स/डायरेक्टर्स द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में अधिकृत किये जाने का प्रमाण (लेटर हेड/शपथ पत्र पर)
12.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की आई.डी.
13.	आवेदक फर्म के प्रोपराईटर/पार्टनर्स/डायरेक्टर्स की आई.डी.
14.	शपथ पत्र (नियम 176(1) के अनुसार)
15.	विगत 3 वर्षो में किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किये जाने का शपथ पत्र
नोटः-समस्त दस्तावेजो की स्पष्ट प्रति को आवेदन के साथ स्वसत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	

Scanned with OKEN Scanner

ATS के पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध मे वांछित दस्तावेज

क्र. सं.	वांछित दस्तावेज
1.	NSWS पोर्टल के माध्यम से आवेदन
2.	आवेदन फीस रू 50,000
3.	वैध प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (PRC)
4.	केन्द्रीय जांच एजेन्सी द्वारा की गई प्रीकमीशनिंग ऑडिट रिपोर्ट
5.	मशीनों के बिल एवं केलीब्रेशन प्रमाण पत्र
6.	Man Power की सूची एवं दस्तावेज
7.	भूमि के दस्तावेज/नक्शा/ फोटोग्राफ्स
8.	Fire Safety Clearance
9.	NVR Installation with Live Coverage and provision of minimum 3 months recording.
नोटः- समस्त दस्तावेजो की स्पष्ट प्रति को आवेदन के साथ स्वसत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	

Scanned with OKEN Scanner